न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *अशोक कुमार वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी* *अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम* *राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 70/2024*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

03-9-25

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि ग्राम गुड़ा विश्नोईराईकान, पटवार हल्का गुड़ा विश्नोईयान तहसील लूणी के मूल खसरा नं0 752 स्थित थी। ततःपश्चात उक्त भूमि के खातेदारान द्वारा उक्त भूमि का विभाजन कर लिया गया तथा खसरा नं0 752 को अलग अलग बटा नम्बरो में विभक्त कर दिया जिसमें खसरा नं0 752 रकबा 0.6394 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में रखी गई तथा राजस्व नक्शा में खसरा नं0 752 तरमीम कर दिया गया जिस पर प्रार्थीगण का आज दिन शांति पूर्वक मालिक काबिज है तथा काश्त करते है। पटवारी द्वारा राजस्व नक्शे में ऑन लाईन इन्द्राज करते समय प्रार्थीगण के कब्जे काश्त से भिन्न गलत तरमीम कर दी गई। भविष्य में पक्षकारान के बीच किसी तरह का कोई विवाद पैदा न हो इस कारण नक्शे की दुरूस्ती हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नं0 752 ग्राम गुड़ा विश्नोईराईकान तहसील लूणी वर्तमान में ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को निरस्त किया जावे तथा उक्त खसरा की तरमीम मौके अनुसार तहसीलदार लूणी से मौका रिपोर्ट तलब कर सहीं तरमीम करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को प्रकरण में जवाब/जांच हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/2445 दिनांक 11.08.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रालवी की गई। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गुडा विश्नोइयान राईकान् के खसरा संख्या 752 752/6, 752/3, 752/36 752/38 की तरमीम ऑनलाइन अशुद्ध है जिसके सभी नक्शों की लठ्ठा नक्शा में तरमीम नहीं की हुई है। उपरोक्त प्रभावित खसरान् के खातेदारों के द्वारा मौका कब्जा अनुसार तरमीम सही करने हेतु सहमति भी जाहिर की गई है जिसका नजरी नक्शा भू. अ. निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित है। प्रस्तावित नजरी नक्शा मौका एवम् प्रभावित खसरो के खातेदारों की सहमति के आधार पर ऑनलाइन शीट में तरमीम शुद्ध करने की अनुशंषा की गई।

पत्रालवी का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व नक्शे में ऑन लाईन इन्द्राज करते समय प्रार्थीगण के कब्जे काश्त से भिन्न गलत तरमीम होने से मौके एवं कब्जा अनुसार तरमीम शुद्धि चाहा गया है। इस संबंध में तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार मौका एवम् प्रभावित खसरो के खातेदारों की सहमति के आधार पर ऑनलाइन शीट में तरमीम शुद्ध करने की अनुशंषा की गई। प्रथम दृष्टया ऑनलाईन DIRLMP प्रोग्राम के तहत लिपिकीय त्रुटिवश उक्त खसरे की तरमीम ऑनलाईन मौका कब्जा अनुसार नही होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 के अन्तर्गत होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम गुड़ा विश्नोईराईकान तहसील लूणी के उक्त प्रभावित खसरान् की अशुद्ध तरमीम को तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा मौका फर्द दिनांक 25.07.2025 के अनुसार शुद्ध किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। मौका फर्द दिनांक 25.07.2025 आदेश का अभिन्न अंग समझा जावें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(पुखराज कासोटिया)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी